न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–142 / 2018

वादीगण ~~बनाम~~ बनाम

1. लीला कंवर उर्फ जेठवा लिलाबा बेवा
2. प्रतापसिंह उर्फ पोपटसिंह जाति राजपूत नि0 छाया तह0 पोरबंदर जिला जूनागढ तह0 सोजत जिला–पाली।

प्रतिवादीगण

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थिति:–

1. श्री खेतसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 23.11.2022

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सरदारसमंद तह0 सोजत में वर्तमान खसरा नम्बर 911, 912 कुल खसरा 02 कुल रकबा 13.9900 है बा0प्र0 स्थित है, जो कि कृषि भूमि वादीया की हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त सुदा आई हुई स्थित है। वादस्थ भूमि वादीया की माता श्रीमति माया कुंवर पत्नि मोहब्बतसिंह की खातेदारी सुदा एवं कब्जा काश्तसुदा थी। दौराने रिवाईज्ड सेटलमेंट वादीया की माता माया कुंवर ने ए0आर0ओ0 जोधपुर के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती हेतु उज्रदारी प्रस्तुत कर वादस्थ भूमि के खातेदारी अधिकार वादीया के नाम दर्ज करने हेतु पेश की तथा ए0आर0ओ0 जोधपुर दिनांक 07.06.1979 को उज्रदारी स्वीकार कर वादीया का नाम संबंधित राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित किया, जिसकी पालना में वादीया का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। वादस्थ भूमि वादीया को उसकी माता ने दी थी, तब से निरन्तर वादीया का उस पर कब्जा काश्त बतौर खातेदार काश्तकार निरन्तर आज दिन तक शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीया का नाम लीला कंवर ही है, परन्तु वादीया का विवाह गुजरात राज्य के छाया गांव में हुआ, जिससे गुजराती रीतिरिवाज के कारण वादीया को वहां लीला कंवर के बजाय लीलाबा पुकारने लगे तथा जेठवा वादीया का उपनाम है। परिणाम स्वरूप समस्त राजकीय परिपत्रों में भी वादीया का नाम जेठवा लीलाबा दर्ज चला आ रहा है तथा वादीया के पति का नाम प्रतापसिंह उर्फ पोपटसिंह होने से वादस्थ भूमि में बतौर खातेदार वादीया के पति का नाम प्रतापसिंह दर्ज है तथा सरकारी परिचय पत्रों में पोपटसिंह नाम दर्ज है तथा वादस्थ कृषि भूमि में बतौर खातेदार वादीया का निवास स्थान छाया ही दर्ज था, परन्तु जमाबंदी दोहराते समय हल्का पटवारी ने सेवन से धनी दर्ज कर दिया, जो इन्द्राज दुरूस्ती योग्य है। अतः वादीया को वादस्थ कृषि भूमि में बतौर खातेदार अपना नाम लीलाकंवर उर्फ जेठवा, लीलाबा पत्नि प्रतापसिंह उर्फ पोपटसिंह कौम राजपुत निवासी छाया जिला जूनागढ दर्ज करवाने की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती करवाने की अधिकारी है। वादस्थ कृषि भूमि ग्राम सरदारसमंद, तहसील सोजत में स्थित होनें से एवं वाद खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का होने से श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है।इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की है किसरहद मौजा ग्राम सरदारसमंद तह0 सोजत में वर्तमान खसरा नंबर 911, 912 कुल खसरा 02 कुल रकबा 13.9900 है बा0प्र0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम बतौर खातेदार लीला कंवर उर्फ जेठवा लीलाबा पत्नि प्रतापसिंह उर्फ पोपटसिंह जाति राजपूत सा0 छाया जिला जूनागढ दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी ने जवाव दावा पेश कर अंकित किया कि वाद पत्र के पद संख्या 1 भूमि सरहद मौजा सरदारसमंद में होना स्वीकार किया है, पद संख्या 2, 3, 5, 8 स्वयं सिद्ध करना, पद संख्या 4, 6, 7 कानूनी होना अंकित किया है।
अधिवक्ता वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद की निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः–

01. आया– वादीया के नाम लीलाकंवर है परन्तु गुजराती रीति रिवाज अनुसार जेठवा लिलाबा समस्त राजकीय परिचय पत्रों में दर्ज है एवं वादीया के पति का नाम प्रतापसिंह पुत्र पोपटसिंह है एवं गांव छाया है इसलिए वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम बतौर खातेदार लीलाकंवर उर्फ जेठवा लीलाबा पत्नि प्रतापसिंह पुत्र पोपटसिंह जाति राजपुत सा0 छाया जि0 जुनागढ दर्ज करवाने की अधिकारी है।
02. अनुतोष।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली (राज.)

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादी स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं के बयान पीडब्ल्यु–1, तथा अन्य स्वतन्त्र गवाहर के बनया पीडब्ल्यु–2, 3 कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा वादी ने अपनी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–1 है, जमाबन्दी सम्वत 2029–32 की प्रमाणित प्रति पेश की है जो प्रदर्श–2 है, जमाबन्दी सम्वत 2243–46 की प्रमाणित प्रति पेश की है जो प्रदर्श –3 है, जिसमें मार्क ए से बी में मेरा निवास स्थान छाया लिखा हुआ है। मिसल नम्बर 1400/79 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–4 है, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति पेश पेश की है जो प्रदर्श पी–5 है। आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श–6 है जिसमें नाम जेठवा लिलाबा पत्नि पोपटसिंह दर्ज है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम सरदारसमंद तह0 सोजत में वर्तमान खसरा नंबर 911, 912 कुल खसरा 02 कुल रकबा 13.9900 है बा0प्र0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम लिलाकंवर पत्नि प्रतापसिंह बतौर खातेदार दर्ज सुदा है। प्रार्थीया का पीहर ग्राम सरदार समन्द में है। प्रार्थीया गुजरात में रहती है। गुजराती परम्परा अनुसार प्रार्थीया का नाम लिला केआगे बा लगाने से लिलाबा दर्ज किया हुआ है तथा जेठवा प्रार्थीया की गौत है। प्रार्थीया के पति का नाम का नाम पोपटसिंह व प्रतापसिंह दोनो है परन्तु परिचय पत्र में पोपटसिंह ही लिखा हुआ है। जिस कारण लीला कंवर उर्फ जेठवा लीलाबा पत्नि प्रतापसिंह उर्फ पोपटसिंह जाति राजपूत सा0 छाया जिला जूनागढ दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने दस्तावेजी साक्ष्य सूबतों के आधार पर वाद साबित करना जाहिर किया।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाब दावा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के मुख्य परीक्षण

Gohel
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

एवं बयानात एवं स्वतंत्र गवाहो के बयानात तथा राजस्व रेकर्ड के आधार पर बाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है–

01. आया– वादीया के नाम लीलाकंवर है परन्तु गुजराती रीति रिवाज अनुसार जेठवा लिलाबा समस्त राजकीय परिचय पत्रों में दर्ज है एवं वादीया के पति का नाम प्रतापसिंह पुत्र पोपटसिंह है एवं गांव छाया है इसलिए वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम बतौर खातेदार लीलाकंवर उर्फ जेठवा लीलाबा पत्नि प्रतापसिंह पुत्र पोपटसिंह जाति राजपुत सा0 छाया जि0 जुनागढ़ दर्ज करवाने की अधिकारी है।

अधिवक्ता वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में वादीया का नाम लीलाकंवर बेवा प्रतापसिंह कौम राजपूत निवासी धनी जिला जूनागढ गुजरात दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2043 से 46 प्रदर्श –3 में मार्क ए से बी में वादीया का निवास स्थान छाया अंकित है। गुजराती परम्परा अनुसार वादीया का नाम लिला के आगे बा लगाने से लिलाबा दर्ज किया हुआ है तथा जेठवा प्रार्थीया की गौत्र है। प्रार्थीया के पति का नाम का नाम पोपटसिंह व प्रतापसिंह दोनो होने से परिचय पत्र में पोपटसिंह अंकित करवा दिया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीया गुजरात में निवासरत होने से उनका नाम लीलाकंवर के स्थान पर परिचय पत्र में लीलाबा व गौत्र जेठवा दर्ज करवा दी गई एवं पति का नाम भी प्रतापसिंह के स्थान पर पोपटसिंह अंकित करवा दिया गया। वादीया इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते है। लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय तथा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शित दस्तावेजात मय बयानो पर गहनतापूर्वक गौर कर मनन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में वादीया का नाम लीलाकंवर बेवा प्रतापसिंह कौम राजपूत निवासी धनी जिला जूनागढ गुजरात दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2043 से 46 प्रदर्श –3 में मार्क ए से बी में वादीया का निवास स्थान छाया अंकित है। गुजराती परम्परा अनुसार वादीया का नाम लिला के आगे बा लगाने से लिलाबा दर्ज किया हुआ है तथा जेठवा प्रार्थीया की गौत्र है। प्रार्थीया के पति का नाम का नाम पोपटसिंह व प्रतापसिंह दोनो होने से परिचय पत्र में पोपटसिंह अंकित करवा दिया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीया गुजरात में निवासरत होने से उनका नाम लीलाकंवर के स्थान पर परिचय पत्र में लीलाबा व गौत्र जेठवा दर्ज करवा दी गई एवं पति का नाम भी प्रतापसिंह के स्थान पर पोपटसिंह अंकित करवा दिया गया। वादीया इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते है। लिहाजा सरहद मौजा ग्राम सरदारसमंद तह0 सोजत में वर्तमान खसरा नंबर 911, 912 कुल खसरा 02 कुल रकबा 13. 9900 है बा0प्र0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीया का नाम लीलाकंवर बेवा प्रतापसिंह के स्थान पर लीला कंवर उर्फ जेठवा लीलाबा पत्नि प्रतापसिंह उर्फ पोपटसिंह जाति राजपूत सा0 छाया जिला जूनागढदुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम सरदारसमंद तह0 सोजत में वर्तमान खसरा नंबर 911, 912 कुल खसरा 02 कुल रकबा 13. 9900 है बा0प्र0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीया का नाम लीलाकंवर बेवा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

प्रतापसिंह के स्थान पर लीला कंवर उर्फ जेठवा लीलाबा पत्नि प्रतापसिंह उर्फ पोपटसिंह जाति राजपूत सा0 छाया जिला जूनागढदुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज